न्यायमूर्ति अजय तिवारी के समक्ष,
राम कलां और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

1990 का सीडब्ल्यूपी नंबर 8310
जुलाई 25,2013

भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 226/227 - रिट क्षेत्राधिकार - हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 - धारा 12(3) - पूर्वव्यापी प्रभाव - पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 - धारा 10 ए और 10 बी - भूमि को 27.05 को अधिशेष घोषित किया गया। 1961 बड़े भूमि मालिक की 15.04.3953 को मृत्यु हो गई - पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई और कब्ज़ा सौंप दिया गया - बड़े भूमि मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी के बाद से पंजाब अधिनियम की धारा 10 ए और 10 बी के लाभ के हकदार नहीं हैं। जबसे धारा 12(3) हरियाणा अधिनियम को 23.12.1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है।

अभिनिर्धारित गया, कि आज याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत ही निष्पक्षता और स्पष्टता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राम स्वरूप बनाम एस.एन. मारिया के फैसले को मेरे ध्यान में लाया है, जिसे 1999 (1) पी.एल.जे. 11 के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया था :-

3. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं था कि प्रभावित व्यक्ति पक्षकार नहीं थे और साथ ही इस आधार पर कि हरियाणा अधिनियम की धारा 12(3) के प्रावधान की सही व्याख्या नहीं की गई है, उपलब्ध रिकॉर्ड और अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 8.6.1960 द्वारा मूल अधिशेष भूमि धारक के हाथों में अधिशेष भूमि घोषित कर दी, उसके बाद इस तरह के अधिशेष विभिन्न भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई और उन पर कब्ज़ा उन्हें दिया गया जो 1976 से लगातार उस पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इस तरह के आवंटन और उनके पक्ष में कब्ज़ा देने से, ऐसे आवंटियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसलिए, कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। उन्हें पक्षकार बनाए बिना पारित नहीं किया जा सकता था, जिसका प्रभाव उनके अधिकारों को छीनने जैसा है। ये अपीलकर्ता आवंटी रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उन्हें सुने बिना और रिट याचिका में उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके अधिकार छीनने में गलती की। इसके अलावा, हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड 1 फोल्डिंग एक्ट, 1972 की धारा 12(3) की व्याख्या के सवाल पर भी, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान वर्ष 1976 में क़ानून की किताब में लाया गया था, उस समय तक मूल अधिशेष धारक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन विधायिका ने उक्त प्रावधान को 23.12.1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव दे दिया है और इस तरह पार्टियों के अधिकारों को लागू करना होगा 23.12.1972 को क़ानून की किताब के प्रावधानों को मानते हुए, भूमि धारक की काफी समय बाद मृत्यु हो जाने पर, कानून की नजर में 23.12.1972 को राज्य के साथ निहित भूमि को नियंत्रित किया जाएगा। मृत्यु बहुत बाद में 1976 में हुई, कानूनी उत्तराधिकारी इस आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि वे किसी व्यक्तिगत

सीलिंग इकाई के हकदार हैं क्योंकि इस भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 12(3) के इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से देने के प्रभाव पर विचार नहीं किया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और हम इसे रद्द करते हैं। यह अपील स्वीकार की जाती है। मूल अधिशेष भूमि धारक के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है, हालांकि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(पैरा 3)

आगे कहा गया है कि, निष्पक्ष होने के लिए, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा ने भी अमर सिंह बनाम हरियाणा राज्य में इसी निर्णय और इस न्यायालय के बाद के निर्णयों को 2002 (1) आर.सी.आर. के रूप में रिपोर्ट किया है। (सिविल) 489; शिव नारायण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1984 आर.आर.आर. 432 के रूप में रिपोर्ट किया गया; हरियाणा राज्य बनाम बिरसाला को 2003(4) आर.सी.आर. (सिविल) 812 के रूप में रिपोर्ट किया गया जहां इसका पालन किया गया। इस बाध्यकारी मिसाल को देखते हुए यह याचिका खारिज की जाती है।

(पैरा 4)

के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं के वकील रंजीत मेहता के साथ।
श्रुति गोयल, एएजी हरियाणा।

न्यायमूर्ति अजय तिवारी, (मौखिक)

(1) इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने सर्टिओरारी, परमादेश की रिट जारी करने और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बेदखली के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

(2) याचिकाकर्ता के पिता बड़े ज़मींदार थे और उनकी ज़मीन को 27.05,1961 को अधिशेष घोषित कर दिया गया था, हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 (इसके बाद हरियाणा अधिनियम के रूप में संदर्भित) लागू हुआ, उस समय तक माना जाता है कि ज़मीन को पंजाब भूमि सुरक्षा सुरक्षा अधिनियम (इसके बाद इसे पंजाब अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत उपयोग नहीं किया गया है। 15 अप्रैल 1953 को बड़े जमींदार की मृत्यु हो गयी। याचिकाकर्ताओं ने धारा 10-ए और धारा 10-बी का लाभ पाने के लिए एक आवेदन दायर किया, लेकिन उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया और भूमि पात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई। याचिकाकर्ताओं ने बाद में पंजाब अधिनियम की धारा 10-ए और धारा 10-बी के लाभ के लिए प्रार्थना करते हुए एक और आवेदन दायर किया, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया। यही वह मुद्दा है जो इस न्यायालय के समक्ष पहुंचा है। 23 जुलाई, 2013 को मैंने विद्वान वकील की सहायता से निम्नलिखित प्रश्न तैयार किये:-
(i) उस मामले में धारा 12(3) (1976 के अधिनियम 40 के तहत) को शामिल करने का क्या प्रभाव होगा जहां एक बड़े जमींदार की वर्ष 1974 में मृत्यु हो गई है?
(ii) क्या ऐसे मामले में उसके उत्तराधिकारी पंजाब भूमि सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 10-ए और 10-बी का लाभ पाने के हकदार होंगे?
(iii) क्या ऐसा लाभ, यदि अनुमेय है, पूर्वव्यापी संशोधन द्वारा छीना जा सकता है?

(3) आज याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने बहुत ही निष्पक्षता और स्पष्टता से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राम स्वरूप बनाम एसएन मारिया[1] के फैसले को मेरे ध्यान में लाया, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया था: -

(4) "प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण आदेश में इस आधार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं था कि प्रभावित व्यक्ति पक्षकार नहीं थे और साथ ही इस आधार पर कि हरियाणा अधिनियम धारा 12(3) के प्रावधान की सही व्याख्या नहीं की गई है। उपलब्ध अभिलेखों और अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 8.6.1960 द्वारा अधिशेष भूमि को मूल अधिशेष भूमि धारक के हाथों में घोषित कर दिया। इसके बाद ऐसी अधिशेष भूमि विभिन्न भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की गई और उन पर कब्ज़ा उन्हें दिया गया जो 1976 से लगातार उस पर कब्ज़ा कर रहे थे। इस तरह के आवंटन और उनके पक्ष में कब्ज़ा देने से, ऐसे आवंटियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसलिए, उन्हें पक्षकार बनाए बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता था, जिसका प्रभाव उनके अधिकारों को छीनने जैसा हो।ये अपीलकर्ता आवंटी रिट याचिका में पक्षकार नहीं थे और इसलिए, उच्च न्यायालय ने उन्हें सुने बिना और रिट याचिका में उन्हें पक्षकार बनाए बिना उनके अधिकार छीनने में गलती की। इसके अलावा, हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 12(3) की व्याख्या के सवाल पर भी, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक त्रुटि की है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान वर्ष 1976 में क़ानून की किताब में लाया गया था, उस समय तक मूल अधिशेष धारक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन विधायिका ने उक्त प्रावधान को 23.12.1972 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया और इस तरह पार्टियों के अधिकार समाप्त हो गए। 23.12.1972 को क़ानून पुस्तक के प्रावधानों को मानते हुए शासित होना होगा। भूमि धारक की काफी समय बाद मृत्यु हो जाने के बाद, कानून की नजर में 23.12.1972 को संबंधित भूमि राज्य के पास निहित हो गई। मृत्यु बहुत बाद में 1976 में हुई, कानूनी उत्तराधिकारी इस आधार पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि वे किसी भी व्यक्तिगत सीलिंग इकाई के हकदार हैं क्योंकि भूमि का उपयोग नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 12(3) के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने पर विचार नहीं किया है। मामले के इस दृष्टिकोण में, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और हम इसे रद्द करते हैं। यह अपील स्वीकार्य है। मूल अधिशेष भूमि धारक के उत्तराधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई है। हालांकि लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(5) निष्पक्ष रहें, विद्वान सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा ने भी अमर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, शिव नारायण और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में इसी निर्णय और इस न्यायालय के बाद के निर्णयों का उल्लेख किया है। हरियाणा राज्य बनाम बिरसाला , जहां इसका पालन किया गया।

(6) इस बाध्यकारी मिसाल को देखते हुए यह याचिका खारिज की जाती है।

---

[1] 1999(1) पी.एल.जे. 11

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कुरूक्षेत्र, हरियाणा